खण्ड 10, संख्या 4

अक्टूबर–नवम्बर, 2010

जनसंदेश

भारतीय संसदीय संस्थान – जनसंख्या एवं विकास का द्विमासिक न्यूज़लैटर

जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम नवीकरण एवं गैर–नवीकरण, दोनों प्राकृतिक संसाधनों की तेजी से खपत के रूप मे परिलक्षित होते हैं।

डा. देवीसिंह शेखावत, भारत की राष्ट्रपति के पति एवं
अध्यक्ष, विद्या भारती एजुकेशन ट्रस्ट, महाराष्ट्र

डा. देवीसिंह शेखावत, भारत की राष्ट्रपति के पति एवं अध्यक्ष, विद्या भारती एजुकेशन ट्रस्ट, महाराष्ट्र, ने भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा आयोजित छठी सत पॉल मित्तल अन्तर–विश्वविद्यालय वाद–विवाद प्रतियोगिता के अवसर पर कहा कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम नवीकरण एवं गैर–नवीकरण, दोनों प्राकृतिक संसाधनों की तेजी से खपत के रूप मे परिलक्षित होते हैं। भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास में स्थित सत पाल मित्तल केन्द्र में 19–20 नवम्बर, 2010 को छठी सत पॉल मित्तल अन्तर–विश्वविद्यालय वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बहस का विषय था – पर्यावरण संरक्षण के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण पूर्व–अपेक्षित है। श्री सत महाजन, पूर्व–मंत्री (हिमाचल प्रदेश) एवं अध्यक्ष, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा प्रतियोगिता की अध्यक्षता की गयी।

राष्ट्रव्यापी राज्य स्तरीय अन्तर–कॉलेज वाद–विवाद में 36 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया, 32 विश्वविद्यालयों से दो–दो प्रतिभागियों की टीम (एक प्रस्ताव के पक्ष में एवं एक प्रस्ताव के विपक्ष में) ने राष्ट्र स्तरीय अन्तर–विश्वविद्यालय वाद–विवाद प्रतियोगिता के अंतिम चक्र में भाग लिया।

श्री अविनाश राय खन्ना, सांसद; श्री लक्ष्मण सिंह, पूर्व–सांसद, श्री ज्योति शंकर सिंह, पूर्व उप–कार्यकारी निदेशक, यूएनएफपीए, एवं डा. अंजली सेन, क्षेत्रीय निदशक, अन्तर्राष्ट्रीय योजनबद्ध पितृत्व संघ (दक्षिण एशिया); इस उद्घाटन सत्र के सम्माननीय अतिथि थे।

पृष्ठ 6 पर जारी

. देवीसिंह शेखावत अन्य सम्मानीय अतिथियों की उपस्थति में छठी सत पॉल मित्तल राष्ट्रीय वाद–विवाद तियोगिता का उद्घाटन करते हुए।

बढ़ती हुई आबादी गरीबी की हालत का एक कारण है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद
माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री

श्री गुलाम नबी आज़ाद, माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार ने पहले एशियाई जनसंख्या संघ सम्मेलन–2010 का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में श्री आज़ाद ने जनसंख्या वृद्धि एवं अन्य विकास संबंधी मुद्दों के बीच जटिल संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक ऐसा कारक है जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है।

एशियाई जनसंख्या संघ द्वारा 16–20 नवम्बर, 2010 नई दिल्ली, भारत में आयोजित इस नव–गठित प्रथम एशियाई जनसंख्या संघ सम्मेलन में 150 से अधिक जनसंख्या विशेषज्ञ, जनांकिकीविद्, सांसद एवं जनसंख्या कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रतिभागियों द्वारा एशिया में जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर विचार–विमर्श एवं जानकारी तथा शोध कार्य का आदान–प्रदान किया गया। एशिया क्षेत्र में 4.1 अरब जनसंख्या है जो दुनिया की वर्तमान जनसंख्या 6.9 अरब के 60% से भी अधिक है।

पृष्ठ 3 पर जारी

बाल विवाह को समाप्त करने हेतु सांसदों के साथ विचारावेश विचार–विमर्श

30 नवम्बर, 2010

श्री अविनाश राय खन्ना, सांसद पंजाब; डा. राम प्रकाश, सांसद, हरियाणा; श्रीमती अनुसूया यूइकी, सांसद, मध्य प्रदेश एवं राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व–सदस्य; श्रीमती विप्लव ठाकुर, सांसद, हिमाचल प्रदेश तथा सुश्री मावेल रिबेलो, सांसद, झारखण्ड द्वारा सर्वसम्मति से बाल विवाह को समाप्त करने की पहल का समर्थन किया गया। यह सभी सांसद भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास तथा भारतीय परिवार नियोजन संघ के साथ–साथ गर्ल्स डिसायड द्वारा "बाल विवाह को समाप्त करने हेतु सांसदों के साथ विचारावेश विचार–विमर्श" विषय पर मंगलवार 30 नवम्बर, 2010 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर–सभागार, नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन के अवसर पर उपस्थित थे।

पृष्ठ 4 पर जारी

सम्पादक की कलम से

विश्व मौसम विज्ञान संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन संबंधी वैज्ञानिक जानकारी के मूल्यांकन एवं जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय तथा सामाजिक–आर्थिक दुष्परिणामों पर गठित जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर–सरकारी पैनल द्वारा 2007 में अपनी चौथी आंकलन रिपोर्ट जारी की गयी, जिसमें जलवायु परिवर्तन में बदलाव, विशेष रूप से मानव गतिविधियों के कारण होने वाले की घटनाओं की पुष्टि की गयी। यह दोहराया गया कि वैश्विक औसत तापमान में मुख्य रूप से ग्रीनहाउस गैसों के केंद्रीकरण के कारण वृद्धि हुई है एवं मानवता के लिए इसके खतरों पर विशेष बल दिया गया।

जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं सहित, अधिकांश पर्यावरणीय समस्याएं जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या आकार में वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई हैं। पिछले 40 वर्षों में, दुनिया की आबादी 3.5 अरब से लगभग दुगुनी बढ़कर 7 अरब हो गयी है। बढ़ती हुई आबादी के कारण पानी, कृषि, परिवहन, वस्तुओं की उत्पादन संबंधी मांग में वृद्धि एवं बेरोजगारी तथा बेकारी की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। सरकार पर कृषि, उद्योग, बिजली, सिंचाई, आवास, आदि समस्याओं से निपटने के लिए वन–भूमि, घास के मैदानों एवं अन्य क्षेत्रों को परिवर्तित करने का निरंतर दबाव बना हुआ है। अधिक आबादी के लिए अधिक उर्जा की आवश्यकता होती है जो जीवाशम ईंधन कार्बन उत्सर्जन के प्रज्वलन द्वारा तैयार की जा रही है। अन्य ग्रीनहाउस गैसें जैसे मिथेन, जो कि अधिक हानिकारक है, चावल की खेती, पशुओं एवं कचरे से तैयार होती हैं। लोगों की बढ़ती आबादी को भुखमरी से बचाने के लिए चावल एवं पशु उत्पादन में वृद्धि की जाती है। क्योंकि आबादी के बढ़ने के साथ ही कचरे में वृद्धि हो रही है इसलिए कचरे के ढ़ेर भी अधिक बड़े एवं प्रचुर मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं।

आज दुनिया जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी समस्या का निरंतर सामना कर रही है। यदि इसके दुश्प्रभावों की ठीक प्रकार से जांच–पड़ताल न की गयी तो यह पारिस्थिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरे पैदा करेगी। इसके लिए मानव गतिविधियों द्वारा जलवायु परिवर्तन के आबादियों एवं मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले मौजूदा तथा दीर्घकालीन समस्याओं के बारे में समुदायों को जागरूक करने की आवश्यकता है। आज का किशोर एवं युवा देश का भविष्य है तथा आबादी का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि भारत जेसे देशों में इनकी 30% से अधिक आबादी है। युवा एक प्रमुख स्रोत के रूप में हैं एवं इन्हें देश के विकास की दिशा में प्रेरित किया जा सकता है। वे सामाजिक बदलाव के एजेंट हो सकते हैं यदि इनकी उर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। युवा वृद्धिशील एवं विचारशील नागरिक होते हैं तथा दुनिया के विकास संबंधी मुद्दों को संबोधित करने एवं इस दिशा में आने वाली समस्याओं के समाधान में उन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। अपनी कल्पना एवं उर्जा के माध्यम से वे अपने समुदायों में एक प्रभावी संचारक के रूप में कार्य कर सकते हैं तथा स्थानीय कार्यों का संचालन कर सकते हैं। युवाओं को पर्यावरणीय व्यवहार की दिशा में प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें सशक्त जानकारी एवं कौशल की आवश्यकता है। इससे उनमें सकारात्मक पर्यावरणीय व्यवहार, जानकारी एवं विश्वास पैदा करने की दिशा में मदद मिलेगी तथा उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। युवाओं में जोखिम संबंधी कारकों के प्रति जागरूकता में वृद्धि, क्षमताओं को मज़बूत बनाने एवं उन्हें पर्यावरणीय गतिविधियों में शामिल करने के अवसर देकर उनमें सकारात्मक व्यवहार तथा कौशल पैदा होगा, जिससे उनमें पर्यावरण की देखभाल संबंधी जिम्मेदारी की भावना तथा स्पष्ट समझ पैदा होगी कि इस दिशा में उन्हें क्या कार्रवाई करनी है।

भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास एक अनूठा मंच है जो संस्थागत स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं लोगों के बीच सामयिक मुद्दों पर पक्षसमर्थन तथा संवेदीकरण कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाता है। अपनी संवेदीकरण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा युवाओं के बीच जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए छठी सत पॉल मित्तल राष्ट्रीय अंतर–विश्वविद्यालय वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के विषय – "जनसंख्या स्थिरीकरण पर्यावरण संरक्षरण हेतु पूर्व–अपेक्षित है" पर देशभर में राज्य स्तरीय अंतर–कॉलेज प्रतियोगिताओं में व्यापक बहस हुई, जिसमें 36 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य युवाओं में पर्यावरणीय गिरावट के खतरनाक दुश्प्रभावों के प्रति रूचि एवं जागरूकता पैदा करना था।

अपने उद्घाटन भाषण में, मुख्य अतिथि डा. देवी सिंह शेखावत ने आबादी की समस्याओं पर जोर देते हुए कहा कि "भारत में जनसंख्या संबंधी मुद्दे उभरकर सामने आये हैं क्योंकि ये मुद्दे हमारी दीर्घकालीन परंपराओं एवं संस्कृतियों, बदलते समाज, अर्थव्यवस्था एवं पारिस्थितिकी जैसे कारकों के जटिल जाल में निहित हैं।" उन्होंने आगे कहा कि "1929 में बाल विवाह निषेध कानून के पारित होने के बावजूद, राज्य में बाल विवाह काफी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। इस तरह की कुप्रथाओं को दूर करने के लिए, सामाजिक कार्रवाई की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के युवा छात्रों को आंतरिक ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाना चाहिए तथा उन्हें विवाह योग्य उम्र की अगली पीढ़ी के लिए एक आदर्श भूमिका निभानी चाहिए।" इस प्रकार प्रतिभागियों को स्पष्ट संदेश मिला है कि भविष्य में आगे भी इस मुद्दे पर चर्चा के माध्यम से भरपूर समर्थन की आवश्यकता है।

बाद में एक विशेषज्ञ द्वारा उपयुक्त उल्लेख करते हुए "जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधी अनेक अधिवक्ताओं के तथ्य का हवाला दिया गया कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/6 या 16 प्रतिशत से अधिक आबादी निवास करती है एवं यहां विश्व के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ दो प्रतिशत से कुछ अधिक भू–भाग ही है। इतना ही नहीं, हमारी आबादी का एक बड़ा भाग – पर्याप्त भोजन, पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, नौकरियों, या यहां तक कि रोज़गार पाने के लिए शिक्षा की पर्याप्त पहुंच के अभाव में कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहा है। यह असंतुलन संसाधनों एवं लोगों के बीच बेमेल सा प्रतीत होता है।"

भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास के संपूर्ण अभ्यास का उद्देश्य युवाओं में एक सकारात्मक भावना को बढ़ावा देना था ताकि वे जनसंख्या तथा पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर एक "राजदूत" के रूप में की भूमिकाएं निभा सकें तथा सतत् विकास की प्रक्रिया में अपनी सेवायें प्रदान कर सकें।

मनमोहन शर्मा
कार्यकारी सचिव, आई.ए.पी.पी.डी.

पहला एशियाई जनसंख्या संघ सम्मेलन – 2010

नई दिल्ली, भारत, 16–20 नवम्बर, 2010

श्री गुलाम नबी आज़ाद, माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार ने पहले एशियाई जनसंख्या संघ सम्मेलन–2010 का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में, श्री आज़ाद ने जनसंख्या वृद्धि एवं अन्य विकास संबंधी मुद्दों के बीच जटिल संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक ऐसा कारक है जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है।

जनसंख्या परिषद में गरीबी, लिंग एवं युवा मुद्दों के वरिष्ठ एसोसिएट, डॉ. शिरीन जेजीभॉय ने जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच के गठन की आवश्यकता पर बल दिया। हमें जनसंख्या से संबंधित मुद्दों पर विचार करने का अवसर कभी–कभार ही मिल पाता है। यह सम्मेलन हमारे लिए एक मंच है जहां हम एक साथ मिलकर क्षेत्र के मुद्दो जैसे–युवा आबादी संबंधी सह–अस्तित्व एवं बुजुर्गों की बढ़ती हुई संख्या की सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताओं, अंतर–देशीय पलायन तथा विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोज़गार की खोज जैसी समस्याओं को समझ सकते हैं, डॉ. जेजीभॉय का कहना था।

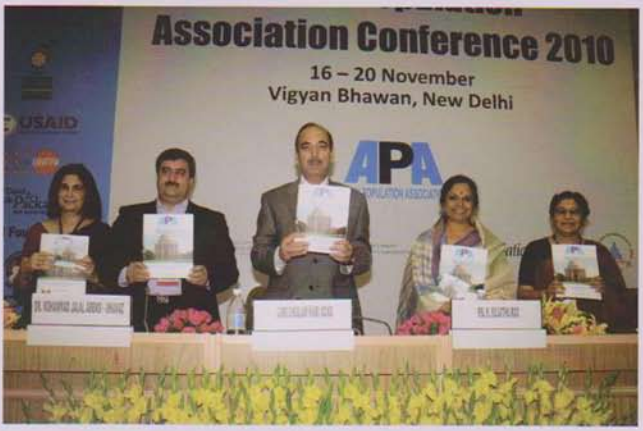

श्री गुलाम नबी आज़ाद, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर 'ए.पी.ए. एशियाई जनसंख्या एसोसियेशन' नामक पुस्तक का लोकापर्ण करते हुए। इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव, सुश्री सुजाता राव भी उपस्थित थीं।

एशियाई जनसंख्या संघ द्वारा 16–20 नवम्बर, 2010 नई दिल्ली, भारत में आयोजित इस नव–गठित प्रथम एशियाई जनसंख्या संघ सम्मेलन में 150 से अधिक जनसंख्या विशेषज्ञ, जनांकिकीविद्, सांसद एवं जनसंख्या कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रतिभागियों द्वारा एशिया में जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर विचार–विमर्श एवं जानकारी तथा शोध कार्य का आदान–प्रदान किया गया। एशिया क्षेत्र में 4.1 अरब जनसंख्या है जो दुनिया की वर्तमान जनसंख्या 6.9 अरब के 60% से भी अधिक है।

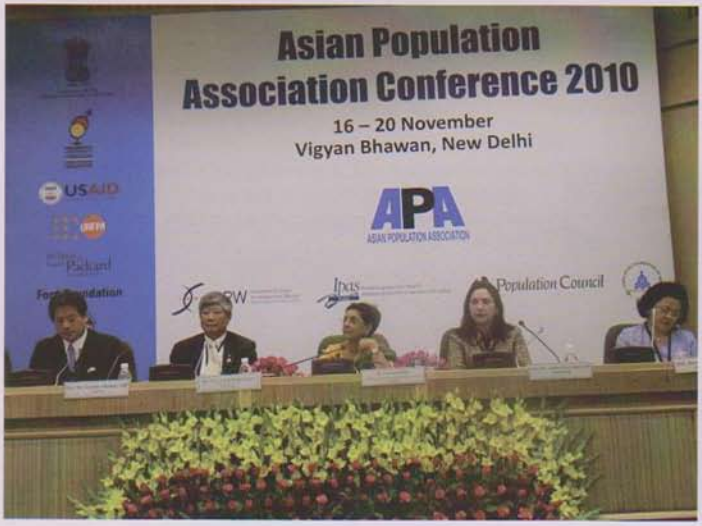

एशियाई संसदीय मंचः जनसंख्या एवं विकास द्वारा 17 नवम्बर को साक्ष्य से लेकर संवाद तक एक संसदीय सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में सांसदों एवं जनसंख्या विशेषज्ञों तथा कार्यक्रम कोष एवं महिला सशक्तीकरण के बीच पारस्परिक सहयोग के फायदों पर प्रकाश डाला गया।

सम्मेलन में जनसंख्या संबंधी मुद्दों की दिशा में कार्यरत एशियाई देशों के विद्वानों को एक साथ मिलकर काम करने एवं शोध कार्य के आदान–प्रदान करने का एक अनूठा अवसर दिया गया।

श्रीमती विप्लव ठाकुर, सांसद; सुश्री माबेल रिबेलो, सांसद; श्री अविनाश राय खन्ना, सांसद; सुश्री अनुसूया यूइकी, सांसद एवं श्री मनमोहन शर्मा, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास ने सम्मेलन में भाग लिया।

बाल विवाह को समाप्त करने हेतु सांसदों के साथ विचारावेश विचार–विमर्श

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 30 नवम्बर, 2010

भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास तथा भारतीय परिवार नियोजन संघ के साथ–साथ गर्ल्स डिसायड द्वारा "बाल विवाह को समाप्त करने हेतु सांसदों के साथ विचारावेश विचार–विमर्श" विषय पर मंगलवार 30 नवम्बर, 2010 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर–सभागार में एक समारोह का आयोजन किया गया।

श्री अविनाश राय खन्ना, सांसद पंजाब; डॉ. राम प्रकाश, सांसद, हरियाणा; श्रीमती अनुसूया यूइकी, सांसद, मध्य प्रदेश एवं राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व–सदस्य; श्रीमती विप्लव ठाकुर, सांसद, हिमाचल प्रदेश तथा सुश्री माबेल रिबेलो, सांसद, झारखण्ड द्वारा सर्वसम्मति से बाल विवाह को समाप्त करने की पहल का समर्थन किया गया। बाल विवाह निसंदेह ही एक बुराई है। इससे लड़कियों के परम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का आनंद प्राप्त करने संबंधी आदर्श अधिकारों का उल्लंघन होता है। यह विशेष रूप से यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ में है इस जोखिम का सामना बाल दुल्हनों एवं उनकी संतानों को करना पड़ता है। इस देश के नागरिक होने के कई फायदों में से एक राष्ट्रीय संविधान या कानूनों के माध्यम से व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा है। इसलिए सभी लड़कियों एवं महिलाओं को अपने अधिकारों की रक्षा की जरूरत है और समुदाय एवं अन्य लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या इन कानूनी अधिकारों को अमल में लाया जा रहा है।

श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास ने अपने उद्घाटन भाषण में उल्लेख किया कि शादी दो वयस्क साथियों के बीच एक औपचारिक सहमति रूपी बंधन है, जो दोनों के बीच यौन संबंधों की मंजूरी देता है तथा उन्हें किसी भी संतानोत्पति के लिए वैधता प्रदान करता है। शादी आज भी दुनिया भर में एक सम्मानित एवं महत्वपूर्ण सामाजिक नियम है, तथा अलग–अलग संस्कृतियों में अलग–अलग तरीकों से होती है। दूसरी ओर, बाल विवाह में या तो एक अथवा दोनों पति–पत्नी शामिल होते हैं एवं इस तरह के विवाह औपचारिक पंजीकरण या बिना पंजीकरण तथा नागरिक, धार्मिक या परंपरागत कानूनों के माध्यम से होते हैं। 18 वर्ष की आयु से पहले किसी भी लड़की की शादी को बाल विवाह के रूप में परिभाषित किया गया है। इस उम्र में एक लड़की शारीरिक एवं मानसिक रूप से विवाह तथा बच्चा जनने की जिम्मेदारियों का बोझ संभालने में समर्थ नहीं होती है। 1978 में स्थापित, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास पंचायत से संसदीय स्तर तक जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक राष्ट्र स्तरीय प्रचारक संगठन है, जो दलगत राजनीति के बावजूद पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रमों के विकास की दिशा में सक्रिय रूप से कार्यरत है। इसके लक्ष्यों में से एक लक्ष्य जनसंख्या एवं विकास संबंधी मुददों को हल करने में अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सांसदों/विधायकों/पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के सदस्यों की भूमिका को बढ़ावा देना एवं सुविधाजनक बनाना है। भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास ने इस पहल का समर्थन किया है तथा यह संस्थान इसी तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से आगे भी इस दिशा में अपना भरपूर सहयोग देता रहेगा।

माननीय सांसद अन्य सम्मानित अतिथियों के साथ।

श्री विश्वनाथ कोलिवाड, महासचिव, भारतीय परिवार नियोजन संघ ने कहा कि नीति–निर्माताओं की सहायता; विशेष रूप से सांसदों के समर्थन से सामाजिक बदलाव लाने में मदद मिलेगी। सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज, शोधकर्ताओं एवं मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ गठबंधन तथा भागीदारियां बनाने एवं नेटवर्क तैयार करने की आवश्यकता है। इस दिशा में किये गये प्रयासों के बीच परस्पर तालमेल प्रभावी नीति एवं कार्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। भारतीय परिवार नियोजन संघ एक राष्ट्र स्तरीय गैर–सरकारी संगठन है जो 1949 से समुदायों के साथ उनके यौन एवं प्रजनन जीवन में सुधार लाने की दिशा में कार्यरत है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह भारत में 17 राज्यों की 40 शाखाओं के माध्यम से कार्य करता है। भारतीय परिवार नियोजन संघ एक सेवा प्रदाता है एवं यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों संबंधी हिमायत भी करता है।

सुश्री सुजाता नटराजन, अध्यक्ष, भारतीय परिवार नियोजन संघ द्वारा प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया।

डॉ. जैकलीन शॉर्प ने अपने उद्घाटन भाषण में बाल विवाह को समाप्त करने के बारे में बताया। जिन समाजों में अधिक संख्या में बाल विवाह होते हैं वहां समयपूर्व गर्भधारण, अनचाहे गर्भधारणों, मातृ एवं शिशु मृत्यु, यौन संचारित रोग (एच.आई.वी. व एड्स रोग सहित) तथा असुरक्षित गर्भपातों का उच्च अनुपात है। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि जिन युवा लड़कियों का बाल विवाह किया जाता है उन्हें अक्सर बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी से वंचित रखा जाता है तथा उन्हें बहुत कम शिक्षा प्राप्त होती है। जिन लड़कियों को शिक्षा से वंचित किया जाता है उन्हें अक्सर घर से बाहर खुलेपन की भी मनाही होती है जिससे उनमें आत्म–विश्वास की कमी, बेबसी एवं गरीबी का जोखिम बना रहता है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य, सहस्राब्दि विकास लक्ष्य; विशेष रूप से गरीबी, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, मातृ एवं शिशु मृत्यु, तथा एच.आई. वी. व एड्स जैसे मुददों संबंधी निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हो पाये हैं। बाल विवाह के कारण सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को हासिल करने के प्रयासों में प्रत्यक्ष रूप से रूकावट पैदा होती है।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के उन्मूलन पर संसदीय कार्रवाईयों एवं कानूनों की समीक्षा हेतु क्षेत्रीय मंत्रियों तथा सांसदों का सम्मेलन

योग्यकार्ता, इंडोनेशिया, 21–22 अक्टूबर, 2010

एशिया–प्रशांत क्षेत्र के 90 से अधिक पुरूष एवं महिला सांसदों तथा संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों एवं अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठनों के विशेषज्ञों द्वारा 21–22 अक्टूबर, 2010 को योग्यकार्ता, इंडोनेशिया में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के उन्मूलन पर संसदीय कार्रवाईयों तथा कानूनों की समीक्षा हेतु क्षेत्रीय मंत्रियों व सांसदों का सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन एशियाई संसदीय मंचः जनसंख्या एवं विकास द्वारा इंडोनेशियाई संसदीय मंचः जनसंख्या एवं विकास के सहयोग से आयोजित किया गया तथा सम्मेलन को यू.एस.ऐड एवं यू.एन.एफ.पी.ए. का समर्थन प्राप्त था।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल, सांसद, डा. विजय लक्ष्मी साधो, सांसद, एवं श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी सचिव, आई.ए.पी.पी.डी., सम्मेलन में।

भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास प्रतिनिधिमंडल में शामिल श्री प्रवीण राष्ट्रपाल, सांसद; डॉ. (श्रीमती) विजय लक्ष्मी साधो, सांसद तथा श्री मनमोहन शर्मा ने सम्मेलन में भाग लिया।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल, सांसद, भारत ने बताया कि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले भेदभाव को कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने महिला अधिकारों को बढ़ावा देने एवं भारतीय राजनीति में आदर्श महिलाओं की सफलता की कहानियों का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भेदभाव अभी भी मौजूद है एवं सांसदों के रूप में उन्हें महिलाओं के विरूद्ध होने वाले किसी भी तरह के भेदभाव तथा दुव्यर्वहार पर तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

सांसदों हेतु कार्रवाई

- हिंसा के प्रचलन एवं प्रमुख कारणों का पता लगाना तथा हिंसा के कारणों एवं क्षति संबंधी सबूत इक्ट्ठा करने के लिए शोध कार्य को बढ़ावा देना;
- उचित मीडिया, संदेशवाहकों एवं संदेशों का उपयोग करते हुए चुने हुए लक्षित समूहों पर आधारित कोष नियंत्रण अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना;
- प्रभावी स्थानीय हस्तक्षेप का समर्थन करना;
- सार्वजनिक एवं समकक्ष व्यक्तियों के बीच बातचीत द्वारा उनके आदर्श बनना;
- महिला सशक्तीकरण एवं स्वस्थ संबंधों का समर्थन करने वाली नीतियों के माध्यम से लिंग समानता को बढावा देना;
- बच्चों के शारीरिक दंड को कम करने वाली नीतियां लागू करना;
- सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित करना;
- सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के बारे में संदेशों के माध्यम से लड़कों एवं पुरूषों तक पहुंचकर स्वास्थ्य संबंधी प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देना; एवं
- देखभाल में पुरूषों की भागीदारी को बढ़ावा देना।

प्रतिभागियों का ग्रुप चित्र

छठी सतपॉल मि
राष्ट्रीय अन्तर–विश्वविद्यालय वाद–वि
पर्यावरण संरक्षण के लि
स्थिरीकरण पूर्व–अ

19–20 नवम्बर, 20

भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास सभागार में 19–20 नवम्बर, 2010 को छठी सत पॉल मित्तल अन्तर–विश्वविद्यालय वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बहस का विषय था – पर्यावरण संरक्षण के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण पूर्व–अपेक्षित है।

विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रव्यापी राज्य स्तरीय अन्तर–कॉलेज वाद–विवाद के सफल आयोजन के बाद, जिसमें 36 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया, 32 विश्वविद्यालयों से दो–दो प्रतिभागियों की टीम (एक प्रस्ताव के पक्ष में एवं एक प्रस्ताव के विपक्ष में) ने राष्ट्र स्तरीय अन्तर–विश्वविद्यालय वाद–विवाद प्रतियोगिता के अंतिम चक्र में भाग लिया।

भारत की राष्ट्रपति के पति डा. देवी सिंह शेखावत एवं अध्यक्ष, विद्या भारती एजुकेशन ट्रस्ट, महाराष्ट्र द्वारा इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया तथा श्री सत महाजन, पूर्व–मंत्री (हिमाचल प्रदेश) एवं अध्यक्ष, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा प्रतियोगिता की अध्यक्षता की गयी। डा. अंजली सेन, क्षेत्रीय निदशक, अन्तर्राष्ट्रीय योजनबद्ध पितृत्व संघ (दक्षिण एशिया); श्री अविनाश राय खन्ना, सांसद; श्री लक्ष्मण सिंह, पूर्व–सांसद, एवं श्री ज्योति शंकर सिंह, पूर्व उप–कार्यकारी निदेशक, यूएनएफपीए इस उद्घाटन सत्र के सम्माननीय अतिथि थे।

श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास ने बहस के विषय का परिचय कराते हुए कहा कि प्रतिभागी छात्रों को जनसंख्या तथा पर्यावरण संबंधी मुद्दों के प्रति "राजदूतों" के रूप में अपनी अहम भूमिका निभानी है तथा उन्हें आशा है कि वे भविष्य में भी इसी तरह अपनी भूमिका निरंतर निभाते रहेंगे।

डॉ. अंजलि सेन, क्षेत्रीय निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय योजनाबद्ध पितृत्व संघ (दक्षिण एशिया), ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में जनसंख्या कई दशकों से सार्वजनिक चर्चा का एक विशेष मुददा रहा है। जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधी कई अधिवक्ताओं ने कहा है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/6 या 16 प्रतिशत से अधिक आबादी निवास करती है एवं यहां विश्व के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ दो प्रतिशत से कुछ अधिक भू–भाग ही है। इतना ही नहीं, हमारी आबादी का एक बड़ा भाग – पर्याप्त भोजन, पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, नौकरियों, या यहां तक कि रोजगार पाने के लिए शिक्षा की पर्याप्त पहुंच के अभाव में कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन कर रहा है। यह असंतुलन संसाधनों एवं लोगों के बीच बेमेल सा प्रतीत होता है।

सिंगापुर एवं नीदरलैंड जैसे देश भी हैं जहां पर भारत के 362 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व है। फिर भी, इन देशों ने जीवनयापन का एक उपयुक्त मानक हासिल किया है एवं यहां के लोग कार्यकुशल हैं। भारत के मामले में, लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में हमें अभी काफी लंबी दूरी तय करनी है।

अन्तर्राष्ट्रीय योजनबद्ध पितृत्व संघ (दक्षिण एशिया) का मानना है कि लोगों को अपने परिवारों के बारे में योजना बनाने का पूरा अधिकार है, जिसके अंतर्गत लड़कियों को सही उम्र में विवाह करने का अधिकार, महिलाओं एवं पुरूषों को गर्भनिरोधक का उपयोग करके परिवारों की योजना बनाने का अधिकार भी शामिल है।

दुनिया ने अधिक से अधिक विचारों को ग्रहण करने की दिशा में निरंतर प्रगति की है। पहले हमने प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का विरोध किया, परन्तु आज यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे पहले की तुलना में व्यापक सामाजिक एवं सरकारी समर्थन प्राप्त है। लोगों के अधिकारों को पहले की तुलना में कई अधिक मान्यता मिली है, जिसमें महिला एवं युवा वर्ग भी शामिल है। यदि इन अधिकारों को हकीकत में बदल दिया जाए तो इनमें जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने की क्षमता है जो लोगों की इच्छानुसार उनके परिवार के आकार को सीमित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम होगा।

भारत में, लैंगिक एवं जनांकिकीय संतुलन सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच, तथा एकीकृत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्यों में शामिल हैं। इन लक्ष्यों को युवाओं एवं किशोरों की दृष्टि से निर्धारित करना अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो भारत की कुल आबादी का 31 प्रतिशत (354 मिलियन) हैं। इन किशोरों एवं युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग बीमारी, कुपोषण, समयपूर्व विवाह एवं गर्भधारण, शिक्षा, आजीविका, स्वास्थ्य, पलायन तथा दुर्व्यवहार संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है।

त्तल

बिवाद प्रतियोगिता–2010

लिए जनसंख्या

पेक्षित है

010

श्री अविनाश राय खन्ना, सांसद, ने अपने भाषण के दौरान भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा ऐसे ज्वलंत मुददों पर बहस आयोजित करने के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जनसाधारण स्तर पर कार्य करते हुए बालिकाओं की शिक्षा, विवाह की उम्र एवं प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य देखभाल संबंधी मुददों से प्राप्त अनुभवों का आदान–प्रदान किया।

श्री ज्योति शंकर सिंह, पूर्व उप–कार्यकारी निदेशक, यूएनएफपीए ने अपने संबोधन में अपने मित्र एवं एक दूरदर्शी के रूप में स्वर्गीय श्री सत पॉल मित्तल, सांसद को याद किया, जिनके द्वारा भारत में स्वास्थ्य एवं जनसंख्या संबंधी मुददों पर संसदीय आंदोलन की शुरूआत की गयी। श्री सिंह ने कहा कि देश की आबादी में युवाओं का एक विशेष वर्ग है। युवाओं के द्वारा निभायी गयी भूमिकाओं, उनको दिये गये अवसरों एवं उनके द्वारा किये गये कार्यों से निश्चित रूप से आगामी वर्षों में देश की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन होगा।

श्री सत महाजन, पूर्व–मंत्री, हिमाचल प्रदेश एवं अध्यक्ष, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास ने कहा कि ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में आपका जन्म लेना मायने नहीं रखता, बल्कि देश की प्रगति की दिशा में आपके द्वारा दिया गया योगदान ही राष्ट्र–निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमने जनसंख्या स्थिरीकरण के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है परन्तु हमें अभी इस दिशा में एक लंबा रास्ता तय करना है।

श्री लक्ष्मण सिंह, पूर्व–सांसद एवं पूर्व–उपाध्यक्ष, एशियाई संसदीय मंचः जनसंख्या एवं विकास, टोकियो को एशियाई संसदीय मंच की ओर से जनसंख्या तथा विकास मुददों की दिशा में एशियाई स्तर पर उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया।

पुरस्कार प्राप्त करते हुए, श्री लक्ष्मण सिंह ने कहा कि यदि किसी देश की जनसंख्या स्थिर है तो तभी उसे एक विकसित देश कहा जाता है। भारत को जनसंख्या स्थिरीकरण में कई साल लग गये हैं, क्योंकि यहां ग्रामीण क्षेत्रों एवं पिछड़े राज्यों में लड़कियों को पर्याप्त शिक्षा नहीं दी जाती है। आज, स्थिति बेहतर है एवं हमारी विकास दर बढ़ रही है तथा वर्ष 2020 में भारत विकसित देश बनने जा रहा है। यह तभी संभव हुआ है जब हमने बालिकाओं की शिक्षा एवं विवाह की आयु संबंधी महत्वपूर्ण मुददों पर पिछड़े राज्यों में अत्यधिक काम किया है। भारत सरकार द्वारा जनसंख्या स्थिरीकरण एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। श्री सिंह द्वारा जैव–उर्जा के उत्पादन हेतु गोबर का उपयोग करने एवं इसके व्यावसायिक उपयोग के उदाहरण दिये गये। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है एवं उन्हें इसे एक विकसित देश बनाना है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रतिभागी ग्रामीण भारत का दौरा करें एवं असली भारत की छवि देखने के लिए पदयात्रा करें जिससे वे यहां की ज़मीनी हकीकत को समझ सकते हैं।

अपने उद्घाटन भाषण में, मुख्य अतिथि डा. देवी सिंह शेखावत ने आबादी की समस्याओं पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में जनसंख्या संबंधी मुददे उभरे है क्योंकि ये मुददे हमारी दीर्घकालीन परंपराओं एवं संस्कृतियों, बदलते समाज, अर्थव्यवस्था एवं पारिस्थितिकी जैसे कारकों के जटिल जाल में निहित हैं। उन्होंने आगे कहा कि आबादी की समस्याओं में से एक, विशेष रूप से उत्तर भारत में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि दर का होना है, जिसके फलस्वरूप यहां उच्च प्रजनन दर है। राजस्थान राज्य में कम उम्र में शादी होना जनसंख्या वृद्धि के कारणों में से एक है। यहां कम उम्र में विवाह कायम है, क्योंकि बाल विवाह को समाज की स्वीकृति है। 1929 में बाल विवाह निषेध कानून के पारित होने के बावजूद, राज्य में बाल विवाह काफी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। इस तरह की कुप्रथाओं को दूर करने के लिए, सामाजिक कार्रवाई की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के युवा छात्रों को आंतरिक ग्रामीण क्षेत्रों में

अभियान चलाना चाहिए तथा उन्हें विवाह योग्य उम्र की अगली पीढ़ी के लिए एक आदर्श भूमिका निभानी चाहिए।

डॉ. शेखावत ने भारत में बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार प्रणाली के टूटने के कारण वयोवृद्ध व्यक्ति मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जिसमें विशेषरूप से परिवारों में विधवा महिलायें शामिल हैं। यहां पुनः एक सामाजिक कौशल की आवश्यकता है, जिसके लिए कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के छात्र परिवार व्यवस्था को मजबूत बनाने में बेहतर कार्य कर सकते हैं।

डा. शेखावत ने अपने समापन भाषण में जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों; नवीकरण एवं गैर–नवीकरण दोनों संसाधनों की तेजी से होने वाली खपत पर प्रकाश डाला, तथा छात्रों को चेतावनी दी कि अगर यह प्रक्रिया जारी रही, तो इसका व्यापक असर होगा। कभी–कभी, राष्ट्रों को अपनी बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न समस्याओं की पूर्ति के लिए अपनी आज़ादी से भी समझौता करना पड़ता है। (डा. देवीसिंह शेखावत का पूरा भाषण अनुबंध 1 में देखा जा सकता है।)

समापन सत्र

समापन सत्र सुश्री माबेल रिबेलो, सांसद की अध्यक्षता में हुआ। डा. योगानन्द शास्त्री, माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा, इसके मुख्य अतिथि थे। डा. बी.पी. नीलरतन, आईएएस, संयुक्त सचिव, पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार एवं डा. मोहम्मद निजामुद्दीन, उप–कुलपति, गुजरात विश्वविद्यालय, पाकिस्तान इस अवसर पर सम्माननीय अतिथि थे।

समापन सत्र में सुश्री माबेल रिबेलो, सांसद ने युवाओं से देश के लिए, देश की जनता, कमज़ोर लोगों, गरीबों, विकलांगों, देश को विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल करने तथा जनता के जीवन को समृद्ध बनाने की दिशा में तल्लीनता से काम करने को कहा। उनका मानना था कि युवाओं के लिए अपनी नेतृत्वपूर्ण एवं सक्रिय भूमिका निभाने का यह एक बेहतर अवसर है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जिम्मेदारी लें एवं सभी इसे समर्पण भावना के साथ निभायें।

डॉ. नीलरतन, आईएएस, संयुक्त सचिव, पर्यावरण मंत्रालय ने अपने संबोधन में कहा क्योंकि हमारी जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, इसलिए पर्यावरण पर हर जगह दबाव बढ़ रहा है। इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पहलुओं को जहां तक संभव हो अधिक से अधिक गहराई से समझना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि एक लंबे समय से स्पष्ट लग रहा है कि जहां एक ओर मानव जनसंख्या घनत्व, विकास की दर, खपत एवं एक विशेष प्रौद्योगिकी के विकल्प जैसे कारकों के बीच महत्वपूर्ण संबंध है वहीं दूसरी ओर पर्यावरण की स्थिति एवं ऐसे संबंधों का मात्रात्मक विश्लेषण पर्याप्त रूप से नहीं किया गया है तथा अक्सर इनको समझने एवं इनके प्रतिनिधित्व की कमीं रही है।

डा. मोहम्मद निजामुद्दीन, उप–कुलपति, गुजरात विश्वविद्यालय, पाकिस्तान, ने अपने संबोधन में भूमंडलीकरण के परिणामों के प्रबंधन की दिशा में समय पर कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आम जनता के लिए पर्यावरण संरक्षण संबंधी जागरूकता अभियान तैयार करने की रणनीति पर भी बल दिया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार से सही समय पर कदम उठाने का आग्रह किया। समुचित कार्रवाई एवं समय पर कदम उठाने से खतरों पर आने वाली लागत को कम किया जा सकता है।

डा. योगानंद शास्त्री, माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा, ने ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बहस आयोजित करने के लिए भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ओज़ोन परत सूर्य से निकली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। यदि ओज़ोन परत मानव कार्रवाई से समाप्त हो जाती है, तो पृथ्वी पर इसका प्रलयकारी असर हो सकता है। हाल के वर्षों में, ओज़ोन परत अत्यधिक चर्चा का विषय रही है। और ठीक ही तो है, क्योंकि ओज़ोन परत पृथ्वी पर पौधों एवं पशु जीवन दोनों को बचाती है। तथ्य यह है कि ओज़ोन परत समाप्त हो रही है इस बात का पता 1980 के मध्य में चला। इसका प्रमुख कारण क्लोरोफ्लूरोकार्बन का निकलना है। अंटार्कटिका क्षेत्र ओज़ोन रिक्तीकरण का सबसे पहला शिकार हुआ। अंटार्कटिका के ठीक उपर ओज़ोन परत पर एक विशाल छेद से न केवल अब इस महाद्वीप को खतरा है, बल्कि कई अन्य लोग भी अंटार्कटिका के हिमशिखर पिघलने के शिकार हो सकते हैं। भविष्य में, ओज़ोन की समस्या का समाधान करना होगा ताकि इस सुरक्षात्मक परत को संरक्षित किया जा सके। ओज़ोन रिक्तीकरण की समस्या की खोज एक महान आश्चर्य के रूप में हमारे सामने आयी है। सामान्य रूप से लोग ओज़ोन रिक्तीकरण के खतरे के प्रति अधिक जागरूक हैं। अब, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ओज़ोन परत को नष्ट न किया जाए।

भारत एक विकासशील देश है। आज भारत अर्थव्यवस्था के विकास एवं पर्यावरण की रक्षा के दोहरे कार्य का सामना कर रहा है। राष्ट्रीय परिस्थितियों संबंधी कार्यवाही द्वारा भारत ने अपने समग्र आधुनिकीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने की प्रक्रिया के अंतर्गत मूल राष्ट्रीय नीतियों में से एक पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन दिया है। भारत ने पारिस्थितिकी पर्यावरण संरक्षण के साथ ही प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए देश भर में बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में सतत विकास की अनुभूति की आवश्यकता पर बल दिया है।

प्रतियोगिता में बहस के दौरान उभरे मुद्दे

प्रस्ताव के पक्ष में

- सीमान्त भूमि पर दबाव में वृद्धि, मिट्टी का अत्यधिक दोहन, वनों की चराई एवं कटाई तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन।
- मिट्टी का कटाव, दलदल, बाढ़।
- कीटनाशकों, उर्वरकों, सिंचाई के लिए पानी के इस्तेमाल में वृद्धि – खारापन, मछली पालन संबंधी प्रदूषण में वृद्धि।
- भीड़–भाड़ वाली गंदी बस्तियों में पलायन, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी समस्याएं, औद्योगिक कचरे के खतरे, घर के भीतर वायु प्रदूषण, कीचड़युक्त भूमि।
- जनसंख्या एवं हमारी प्रौद्योगिकी के दबाव के कारण जैव–भौतिक वातावरण में गिरावट; कभी–कभी इसमें स्थायी रूप से गिरावट आ रही है। इस गिरावट को स्वीकार किया गया है एवं सरकारों ने पर्यावरण में गिरावट लाने वाली गतिविधियों पर रोक लगानी शुरू कर दी है। प्राकृतिक वातावरण एवं/या मानव हित में व्यक्तिगत, संगठनात्मक या सरकारी स्तर पर पर्यावरण की रक्षा करने का एक प्रयास है।
- 1960 के दशक के बाद से ही पर्यावरण आंदोलन के माध्यम से सक्रियता द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता पैदा हुई है। यहां मानव गतिविधियों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की कोई सीमा नहीं है एवं कभी–कभी सुरक्षात्मक उपायों की भी आलोचना की जाती है।
- आजकल शैक्षणिक संस्थानों द्वारा पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण प्रबंधन एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रमों की पेशकश की जा रही है जिसमें पर्यावरणीय इतिहास तथा सुरक्षा के तरीकों का अध्ययन होता है।
- विभिन्न मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अपशिष्ट पदार्थ, प्रदूषण, जैव–विविधता संबंधी क्षति, आक्रामक प्रजातियों की शुरूआत, आनुवंशिक रूप से संशोधित जैविक एवं विषाक्त पदार्थ पर्यावरण सुरक्षा संबंधी कुछ मुद्दों में शामिल हैं।
- सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण एक अनिवार्य आवश्यकता है। प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल को सुलभ बनाना जनसंख्या स्थिरीकरण का प्रमुख आधार है।
- लोगों की विशाल आबादी जानकारी एवं पहुंच के अभाव में उपलब्ध सेवाओं का भी लाभ नहीं उठा सकती है। इसमें सुधार हेतु विशेष प्रयासों की आवश्यकता है, विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों में।
- भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में पिछले कुछ वर्षों से कमी आ रही है परन्तु कुल आबादी बढ़ती रहेगी क्योंकि यहां 51% आबादी प्रजनन आयु वर्ग (15–49 वर्ष) के लोगों की है।
- हर साल इसमें लाखों लोग शामिल हो जाएंगे। हर वर्ष, 26 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं। केवल 53% योग्य जोड़े ही गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौजूदा स्तरों पर, जनसंख्या स्थिरीकरण में अभी कई और दशक लगेंगे।
- भारत में मातृ एवं बाल मृत्यु दर के उच्च स्तर हैं। बार–बार बच्चे जनने की वजह से अनेक शिशुओं एवं बच्चों की मौत हो जाती है। अनेक लोग सेवाएं उपलब्ध होने के बावजूद जानकारी एवं पहुंच की समस्याओं के कारण इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं।
- दुनिया के क्षेत्रफल में भारत का 2.4% योगदान है जबकि यहां दुनिया की 16.7% आबादी है। जैसे–जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता जाएगा।
- आबादी के दबाव के कारण खेती की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हो जाएगी, जिसका असर खाद्यान्न, पेय जल के साथ–साथ लाखों लोगों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी हितों तथा समाज के उत्पादक सदस्य बनने के अवसरों पर भी पड़ेगा। आधे अरब से अधिक भारतीय 25 वर्ष की आयु से कम हैं।

प्रस्ताव के विपक्ष में

- जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद भारत उच्च आर्थिक वृद्धि दरें प्राप्त करने में सफल हुआ है।
- भारत में रोज़गार की बढ़ती हुई दर है जिसका औसत लगभग 1.2% वार्षिक है। अपने पड़ोसी एशियाई देशों की तरह ही, भारत में एक बड़ा कुशल कार्यबल है, जो अन्य एशियाई देशों के विपरीत, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली यूनियनों द्वारा सुरक्षित हैं।
- भारत में औद्यागिक एवं कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए शिक्षित कार्यकर्ताओं की भी बहुतायत है।
- कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में प्राकृतिक संसाधनों की बहुतायात के कारण, अगले 100 वर्षों तक जनसंख्या वृद्धि की बढ़ती हुई दर के बावजूद भारत समस्त विश्व का भरण–पोषण कर सकता है।
- इसमें कोई संदेह नहीं कि जनसंख्या वृद्धि के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सकारात्मक परिणाम हासिल कर रही है।
- भारत की सकल घरेलू उत्पाद में नियमित दर से वृद्धि हुई है एवं यह सकल घरेलू उत्पाद की उच्च दरों की दृष्टि से विकासशील देशों में शीर्ष स्थान पर है तथा यहां उत्पादन तथा धन–सम्पत्ति में सतत् वृद्धि हुई है।
- हमारी पीढ़ी अब तक के सबसे गंभीर जनांकिकीय संक्रमण का सामना कर रही है एवं भारत इस संक्रमण के दहलीज पर है।
- भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इसी कारण इस दृष्टि से यह सबसे तीव्र महाद्वीप है एवं भारत में तीव्र विकास के फलस्वरूप वैश्विक जनसंख्या संतुलन में भी बदलाव होगा।
- जनसंख्या वृद्धि एवं शहरीकरण एक–दूसरे से परस्पर जुड़े हैं, तथा आर्थिक विकास शहरीकरण से एकदम जुड़ा हुआ है।
- शहरी देश ही अमीर देश हैं। अभी तक निम्न शहरीकरण वाला कोई भी देश उच्च आय वर्ग में शामिल नहीं हो पाया है।
- जनसंख्या वृद्धि दर जनसंख्या घनत्व में वृद्धि करती है, एवं इसके साथ ही ग्रामीण–शहरी पलायन, उच्च शहरी समुदाय का निर्माण भी करती है। और सतत् विकास को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़े शहरी केन्द्र नवीकरण की अनुमति देते हैं एवं अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर वृद्धि करते हैं।
- कंपनियां कम आय वाले ग्राहकों की सेवा की दृष्टि से बड़ी संख्या में एवं सस्ते दामों में माल का उत्पादन करती हैं।
- भारत में ऐसी कंपनियां है जो निम्न एवं निम्न–मध्यम आय वर्ग के लोगों की दृष्टि से लक्षित बढ़ती हुई आबादी एवं जनसंख्या घनत्व का भरपूर लाभ उठा रही हैं। उनका व्यापार तंत्र सक्षम है क्योंकि वे एक बहु–मिलियन ग्राहक आधारित सेवा प्रदान कर सकते हैं, जिसमें पिछले 10 वर्षों में 25% तक वृद्धि हुई है तथा निरंतर तीव्र गति से वृद्धि हो रही है।
- लंबी अवधि में, जनसंख्या वृद्धि प्रौद्योगिकी में उन्नति के माध्यम से नए विकास का कारण बनती है। इससे राष्ट्रों का बेहतर विकास होता है, यदि इस दिशा में कोई समस्याएं पैदा न हों।
- एक ओर, सैद्धांतिक तत्वों का सुझाव है कि अधिक जनसंख्या प्रति कर्मचारी उत्पादन वृद्धि दर को धीमा करती है। यह तथ्य माल्थस की मालथूसियन श्रम रिटर्न सिद्धांत पर आधारित हैं, क्योंकि इसके अनुसार पूंजी के स्टॉक में श्रम के अनुपात के समान वृद्धि नहीं होती है।
- सकारात्मक रूप में, कोई भी जनसंख्या वृद्धि के कारण घटनाओं में आये बदलाव का अनुमान लगा सकता है। नये–उत्कृष्ट विकास मॉडल के अनुसार, जनसंख्या अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है, इसीलिए जनसंख्या वृद्धि तकनीकी उन्नति से परस्पर संबंध रखती है।
- वस्तुओं एवं सेवाओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बढ़ती हुई आबादी प्रौद्योगिकीय परिवर्तन की हर आवश्यकता को बढ़ावा देती है।

भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वाद–विवाद प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर डा. देवीसिंह शेखावत द्वारा दिया गया भाषण

19 नवम्बर 2010

मैं भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा "जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए पर्यावरण की रोकथाम पूर्व–अपेक्षित है" नामक विषय पर वाद–विवाद प्रतियोगिता के उद्घाटन हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए उनका अत्यंत आभारी हूँ। मुझे ऐसी प्रतियोगिता के उद्घाटन करने पर बहुत खुशी होती है जहां युवा मन राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रतिभागी इस बहस में स्वतंत्र एवं स्पष्ट रूप से चर्चा करेंगें ताकि युवा मन पूर्वाग्रह तथा पक्षपातपूर्ण विचारों से पीड़ित एवं किसी भी निहित स्वार्थ से ग्रस्त न हों।

भारत में जनसंख्या संबंधी समस्याएं एवं मुद्दे निरंतर उभरे हैं क्योंकि ये हमारी दीर्घकालीन परंपराओं तथा संस्कृति, बदलते समाज, अर्थव्यवस्था तथा पारिस्थितिकी से उत्पन्न कारकों के जटिल जाल में निहित है। मुझे यकीन है कि बहस में प्रतिभागी अपने व्यापक एवं गहन ज्ञान के आधार पर वाद–विवाद करेंगे।

जनसंख्या की समस्याओं में से एक समस्या जिसका का सामना भारत कर रहा है, विशेष रूप से उत्तर भारत में, वह है उच्च प्रजनन दर के कारण अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि। इनमें से एक कारक का पता राजस्थान राज्य में चला है, जहां से मैं हूँ, वह है छोटी उम्र में शादी। तथ्य यह है कि 1929 में बाल विवाह पर रोक लगाने वाले कानून के पारित होने के बावजूद, इस राज्य में बाल विवाह बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। इस तरह के अस्वास्थ्यकर तरीकों को दूर करने के लिए, सामाजिक कार्रवाई की जरूरत है। मुझे समाज के किसी भी ऐसे वर्ग के बारे में पता नहीं चला है जो इस दिशा में कार्रवाई हेतु कालेज एवं विश्वविद्यालय के युवा छात्रों के मुकाबले बेहतर रूप से सुसज्जित हो। युवा छात्र न केवल आंतरिक ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाते हैं, बल्कि विवाह योग्य उम्र की अगली पीढ़ी के लिए भी एक आदर्श बन सकते हैं।

भारत में युवा एवं वृद्ध दोनों हैं। भारत में वृद्धों की आबादी बढ़ रही है। अब तक वृद्ध आबादी की देखभाल परिवार प्रणाली द्वारा होती थी। परन्तु आर्थिक एवं सामाजिक बदलावों के साथ ही, परिवार प्रणाली टूट रही है। इसके परिणामस्वरूप, वृद्ध व्यक्ति विशेष रूप से परिवारों में विधवा महिलाएं कठिनाई का सामना कर रहे हैं। यहां एक बार फिर कुशल सामाजिक व्यवहार की आवश्यकता है, जिसमें कालेज एवं विश्वविद्यालय के छात्रों के माध्यम से परिवार व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में बेहतर रूप से कार्रवाई की जा सकती है।

जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम नवीकरण एवं गैर–नवीकरण, दोनों प्राकृतिक संसाधनों की तेजी से खपत के रूप मे परिलक्षित होते हैं। यहां तक कि नवीकरण संसाधनों को दीर्घकाल तक पुनर्जीवित किया जाता है एवं फिर भी ये समाप्त हो रहे हैं। यदि यह प्रक्रिया जारी रही, तो इसके व्यापक असर होगें। कभी–कभी, राष्ट्रों को बढ़ती जनसंख्या की खाद्य समस्याओं के लिए अपनी स्वतंत्रता से भी समझौता करना पड़ता है।

हमारी भूमि एवं जल संसाधन अत्यंत सीमित हैं। भूमि के अत्यधिक दोहन एवं नदियों के प्रदूषण ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए इन संसाधनों की उपलब्धता को और भी कम किया है। हमारी वन–भूमि निरंतर खतरे में है। हमारे शहरों के आसपास बहुत कम हरियाली के साथ ही कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। शहर बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का सामना भी कर रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप, मुंबई, दिल्ली एवं कोलकाता जैसे महानगरों में गंदी बस्तियां तथा दिन–ब–दिन ट्रैफिक जाम बढ़ता जा रहा है।

ये सिर्फ केवल कुछ उदाहरण मात्र हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दो दिन की इस बहस में इस तरह की अनेक समस्याओं एवं मुद्दों को उजागर किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि प्रतिभागी केवल तर्क–वितर्क के खातिर बहस न करें, बल्कि अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर तीव्र बहस से उत्पन्न सही जीवन मूल्यों को ग्रहण करेंगे। वे न केवल इन मूल्यों का अपने जीवन में अभ्यास करेंगे, बल्कि समाज में भी इनका प्रचार–प्रसार करेंगे।

मैं इस वाद–विवाद प्रतियोगिता की पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ।

युवाओं एवं आई.सी.पी.डी. संबंधी मुद्दों पर युवा सांसदों की कार्यशाला

27–28 नवम्बर, 2010, बैंकाक, थाईलैंड

भारतीय प्रतिनिधिमंडल कार्यशाला में

आई.सी.पी.डी. संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से 27–28 नवम्बर, 2010 को बैंकाक में युवा सांसदों की एक क्षेत्रीय परामर्श बैठक आयोजित की गयी। आस्ट्रेलिया, बंग्लादेश, कम्बोडिया, जापान, लाओ पीडीआर, मलेशिया, मालद्वीव, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड एवं वियतनाम सहित 15 देशों के 40 से अधिक युवा सांसदों (35 वर्ष या इससे कम आयु) ने इसमें भाग लिया। संसदीय कर्मचारी, प्रतिनिधि एवं यूएनएफपीए तथा अन्य यूएन एजेंसियों के रिसोर्स पर्सन तथा श्रम एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय, थाईलैंड के प्रतिनिधि भी यहां उपस्थित थे। हमें यहां उपलब्ध लाभदायक परिस्थितियों का प्रयोग करते हुए चुनौतियों का सामना करना होगा। माननीय डा. पिनित कुल्लावानीजया, महासचिव, एशियाई संसदीय मंचः जनसंख्या एवं विकास ने आईसीपीडी कार्ययोजना को सुविधाजनक बनाने के लिए युवा सांसदों को जुटाने के महत्व पर बल देते हुए प्रतिभागियों का स्वागत किया। "आईसीपीडी कार्ययोजना में कार्रवाई के एक आधार के रूप में निम्नलिखित को शामिल किया गया हैः मृत्यु दर स्तरों में कमीं एवं उच्च प्रजनन स्तरों के कारण, अनेक विकासशील देशों की आबादी में बच्चों तथा युवाओं का अत्यधिक अनुपात है। गरीबी का बच्चों के स्वास्थ्य एवं हितों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। गरीब बच्चों को कुपोषण का अत्यधिक जोखिम उठाना पड़ता है एवं शोषण, तस्करी, उपेक्षा, यौन शोषण तथा मादक पदार्थों की लत के कारण ये बच्चे बीमारियों का अधिक शिकार होते हैं," माननीय डॉ. कुल्लावानीजया का कहना था। एशियाई संसदीय मंचः जनसंख्या एवं विकास द्वारा प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों में सांसदों को पक्षसमर्थक के रूप में शामिल करने के अभियान से बेहतर परिणाम हासिल हुए हैं। "संसाधन जुटाने की दृष्टि से सांसद जनसंख्या संबंधी मुद्दों के लिए धन आवंटन में सहयोगी एवं मजबूत समर्थक हो सकते हैं। नागरिक समाज, गैर–सरकारी संगठन एवं संसद एक साथ काम करके बेहतर परिणाम ला सकते हैं तथा इस तरह के कार्यक्रम बेहतर तालमेल बना रहे हैं। युवा सांसद इस दिशा में एक अतिरिक्त कार्यबल बन सकता है"।

श्रीमती विप्लव ठाकुर, सांसद

श्रीमती विप्लव ठाकुर, भारतीय सांसद ने कहा कि राजनीति में युवाओं का प्रवेश कानून–निर्माण में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। श्रीमती विप्लव ठाकुर ने तीन प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जहां युवा सांसद अपनी विधायी भूमिका निभा सकते हैंः सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों का समुचित कार्यान्वयन, अधिक जवाबदेही डालना, एवं सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जागरूकता पैदा करना। कानूनों का कार्यान्वयन अधिक महत्वपूर्ण है एवं युवा सांसदों को इसका ज्ञान होना चाहिए। "अब समय आ गया है कि हम मौजूदा ज्वलंत समस्याओं में युवा सांसदों को शामिल करें ताकि वे इसमें भाग ले सकें, वे विचार कर सकें, वे जान सकें कि इन समस्याओं से कैसे हल करेंगे, क्योंकि वे युवा सांसद हैं," उन्होंने कहा। "विकास के समग्र लक्ष्य संपूर्णतावादी एवं टिकाऊ होने चाहिए। इसका मतलब प्रकृति एवं मानव के बीच सह–अस्तित्व से है। हमें खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण जैसे मुद्दों की दिशा में एक–साथ मिलकर काम करना है साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि अर्थव्यवस्थाओं का विकास समान रूप से जारी रहे। युवा सांसदों को सतत् विकास की ओर बढ़ने के लिए विचार–मंथन करना ज़रूरी है।"

जलवायु परिवर्तन से मानव स्वास्थ्य की रक्षा संबंधी मुद्दे पर सांसदों का क्षेत्रीय सम्मेलन

थिम्पू, भूटान, 5–7 अक्टूबर, 2010

जलवायु परिवर्तन से मानव स्वास्थ्य की रक्षा के अवसरों की पहचान करने के साथ–साथ भविष्य में आने वाली बाधाओं का पता लगाने एवं चर्चा करने के उद्देश्य से 5–7 अक्टूबर, 2010 के दौरान थिम्पू, भूटान में जलवायु परिवर्तन से मानव स्वास्थ्य की रक्षा संबंधी मुद्दे पर सांसदों का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

दक्षिण–पूर्व एशिया के सांसद इस सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन में चेतावनी दी गयी कि जलवायु परिवर्तन विकासशील देशों की गरीब एवं सबसे कमज़ोर आबादी को प्रभावित करेगा। छोटे एवं वर्षा–आधारित खेती पर निर्भर सीमांत किसान, ग्रामीण गरीब, शहरी स्लम निवासी, पहाड़ों में रहने वाले लोग, छोटे द्वीपों की आबादी एवं समुद्रतट पर रहने वाले लोग जलवायु परिवर्तन की अधिकांश मार झेलेगें। इस सम्मेलन का आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा थिम्पू, भूटान में किया गया।

जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे गरीब आबादी पर बीमारियों के खतरे में वृद्धि होगी एवं इससे सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों संबंधी प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी, डॉ. सैमली पिल्यानबांगचांग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, दक्षिण–पूर्व एशिया के निदेशक का कहना था। जलवायु के प्रति संवेदनशील मौजूदा स्वास्थ्य समस्याएं – जैसे कुपोषण, वेक्टर–जनित रोगों एवं अतिसारीय रोगों का गंभीर बोझ, कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सीमित पहुंच के साथ मिलकर दक्षिण–पूर्व एशिया के लाखों लोगों को और भी अधिक कमजोर बना रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन सदस्य देशों से इस दिशा में कार्रवाई का आग्रह कर रहा है, विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र की क्षमता को मजबूत बनाने के लिए।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन में

भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल श्रीमती माबेल रिबेलो, सांसद; श्रीमती विप्लव ठाकुर, सांसद; श्री भांताराम नाईक, सांसद; श्री सुरेन्दर सिंह, पूर्व–सांसद एवं श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास ने सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व किया।

लिंग कार्यक्रम संबंधी पहल 2011 हेतु रणनीति तैयार करना

महिलाओं की स्थिति पर एशियाई संसदीय मंचः जनसंख्या एवं विकास, स्थायी समिति की बैंकाक में आयोजित बैठक

सिनेटर क्लेयर मूर, आस्ट्रेलियाई सांसद एवं अध्यक्ष, महिलाओं की स्थिति संबंधी स्थायी समिति की अध्यक्षता में, समिति के सदस्यों द्वारा एशियाई संसदीय मंचः जनसंख्या एवं विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा नेटवर्क, बढ़ती संचार व्यवस्था के उपयोग संबंधी तरीकों तथा महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को हासिल करने हेतु सदस्यों द्वारा सहयोग देने तथा एशियाई महिलाओं एवं उनके सामाजिक भोशण में कमीं लाने की दिशा में रणनीति बनायी गयी। एशियाई संसदीय मंचः जनसंख्या एवं विकास, स्थायी समिति की इस तीसरी बैठक का आयोजन 29 नवम्बर 2010 को थाईलैंड में यूएनएफपीए एवं जापान सरकार के सहयोग से किया गया।

बैठक में सांसदों द्वारा क्षेत्रीय प्रस्तुतियों, समानताओं की तलाश संबंधी सामूहिक चर्चा, भविष्य में सहयोग की दिशा में अंतराल एवं कार्यक्षेत्र तथा प्रमुख मुददों पर संपूर्ण चर्चा, प्रभावी कार्यान्वयन हेतु नेटवर्क रणनीतियों सहित प्रचालन के विभिन्न स्तरों पर अदाकारों की व्यापक श्रृंखला संबंधी मुद्दे शामिल थे। इसमें कुल 26 प्रतिभागी उपस्थिति थे। आस्ट्रेलिया, कम्बोडिया, भारत, लाओस, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड एवं वियतनाम के सांसद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा एजेंसियों के विशषज्ञों के साथ बैठक में शामिल हुए।

प्रतिभागियों का ग्रुप चित्र

जनसंदेश

सम्पादक
मनमोहन शर्मा

जनसंदेश एक द्विमासिक प्रकाशन है

भारतीय संसदीय संस्थान – जनसंख्या एवं विकास
(संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष परामर्शी स्थिति)
1/6, सीरी इन्सटीटयूशनल एरिया, खेल गांव मार्ग, नई दिल्ली–110049
टेलिफोनः 011–41656661/68/69 फैक्सः 011–41656660
ई.मेलः iappd@airtelmail.in वेब साईटः www.iappd.org

Asha Enterprises, 9811854631